राजस्थान सरकार
वन विभाग

# कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001
Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( )वसु/मुवसं/2020–21/ 6696 दिनांक :– 14/12/2020

निमित,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– Diversion of 0.016 ha. of forest land in foavour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT CHITTORGARH for Amrut Yojana (Water Supply Project for Urben Chittorgarh)
प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/35465/2018)

संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक एफ14(Water) 2018/एफसीए/प्रमुवसं/2300 दिनांक 26.08.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र प. 1(58) वन/2020 दिनांक 31.07.2020 से प्रकरण में अतिरिक्त सूचनाऐं चाही गयी है, जिसके क्रम में उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ ने उनके पत्रांक एफ ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020–21/7581 दिनांक 04.12.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित की है। अतः निम्नानुसार बिन्दुवार सूचना तैयार की जाकर इस कार्यालय की सहमतिके साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

| क्र. सं. | विवरण | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1 | राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 1 के क्रम में चूंकि पातन करने वाले वृक्षों की संख्या 33 है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1 (बी) के अनुसार अधिक होने से इस प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति 1 सैट में प्रेषित करावें। | वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1 (बी) के अनुसार 1 हैक्टर वन क्षेत्र में अधिकतम 50 वृक्षों का पातन हो सकता है। 1 हैक्टयर से कम वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन मामले में पातन योग्य वृक्षों की गणना समानुपातिक की जावेगी तथा किसी भी स्थिति में पातन योग्य वृक्षों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी।<br>उक्त प्रस्ताव में 0–30 से.मी. गर्त के 31 पोल (झाडियॉ) एवं 31–60 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष व 91–120 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष है।<br>इस प्रकार उक्त प्रस्ताव में 0.016 हैक्टयर क्षेत्र में 2 वृक्षों का ही पातन किया जाना प्रस्तावित है।<br>अतः प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से विचार किया जाना उचित होगा। |
| 2 | राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 3 के क्रम में Kml file संलग्न (सी.डी.) उपलब्ध करावें। | प्रस्ताव में ऑनलाईन Kml file उपलब्ध है। |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

क्रमांक एफ 5 ( )वसु/मुवसं/2020–21/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1– उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ को उनके पत्रांक 7581 दिनांक 04.12.2020 के क्रम में।
2– अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड – चित्तौडगढ।

sd

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

राजस्थान सरकार

# कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020 –21 / 7581 दिनांक : 4.12.2020

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

6566
10/12/20

**विषय** :– Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for Amrut Yojana (FP/RJ/WATER/35465/2018)

**प्रसंग** :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,. (HoFF) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (Water) 2018 / एफसीए / प्रमुवसं / 2301–2 दिनांक 26.8.2020 एवं कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड– चित्तौड़गढ़ का पत्र क्रमांक अ.अ. / नगर / 2020–2021 / 4030–36 दिनांक 2.12.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषायान्तर्गत लेख है कि Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for Amrut Yojana (FP/RJ/WATER/35465/2018) में प्रासंगिक पत्र से लगाये गये आक्षेपो का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है :–

| क्र.सं. | आक्षेप का विवरण | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1 | राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 1 के क्रम में चूंकि पातन करने वाले वृक्षों की संख्या 33 है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1(बी) के अनुसार अधिक होने से इस प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति 1 सैट में प्रेषित करावें। | वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1(बी) के अनुसार 1 हैक्टर वन क्षेत्र में अधिकतम 50 वृक्षों का पातन हो सकता है। 1 हैक्टयर से कम वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन मामले में पातन योग्य वृक्षो की गणना समानुपातिक की जावेगी तथा किसी भी स्थिति में पातन योग्य वृक्षों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी।<br>उक्त प्रस्ताव में 0–30 से.मी. गर्त के 31 पोल (झाड़िया) एवं 31–60 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष व 91–120 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष है ।<br>इस प्रकार उक्त प्रस्ताव में 0.016 हैक्टयर क्षेत्र में 2 वृक्षों का ही पातन किया जाना प्रस्तावित है।<br>अतः प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से विचार किया जाना उचित होगा। |
| 2 | राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 3 के क्रम में Kml file संलग्न (सी.डी.) उपलब्ध करावे। | प्रस्ताव में आनलाईन Kml file उपलब्ध है। |

FCA
9/12/20

भवदीय

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020–21 / 7582-83 4.12.2020 दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, FCA राजस्थान, जयपुर ।
2. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड– चित्तौड़गढ़ ।

उप वन संरक्षक,
चित्तौडगढ

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
खण्ड–चित्तौड़गढ़ (राज.)
Phone No. 01472-241135
Email:- ee.chl.phed@rajasthan.gov.in

क्रमाक :– अ0अ0 / नगर / 2020–2021 / 4030-36 दिनांक :– 02/12/2020

श्रीमान् उपवन संरक्षक
चित्तौड़गढ।

विषय:– Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineeing Department Chittorgarh for AMRUT Yojna (FP/RJ/Water/35465/2018)
संदर्भ :– आपका पंत्राक एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020–21 / 7493 दिनांक 01.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineeing Department Chittorgarh for AMRUT Yojna (FP/RJ/Water/35465/2018) में प्रासांगिक पत्र एफ 14 (water) 2018 / एफ.सी.ए. प्रमुवसं / 2301–02 दिनांक 26.08.2020 में लगाये गये आक्षेपों का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

1. आक्षेप क्रमांक 01 :– राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 1 के क्रम में चुंकि पातन करने वाले वृक्षों की संख्या 33 है जो की वन संरक्षण (अधिनियम 1980 के पेरा 4.3.1(बी) के अनुसार अधिक होने से इस प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति एक सेट में प्रेषित करावे :–

उपरोक्त आक्षेप के क्रम में निवेदन है कि विभाग के पाडनपोल हेड वर्क्स से फोर्ट पर स्थित 135 किलोलीटर विभागीय टंकी को भरने हेतु पूर्व में 100 एम0एम0 जी.आई. / सी.आई. पाईप लाईन बिछाकर टंकी भरने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी, जो कि वर्ष 1970 की होकर पुरानी होने से बार–बार लीकेज होने की शिकायत होने एवं अमृत योजना के तहत फोर्ट पर पुरानी टंकी के पास ही 200 किलोलीटर की नई टंकी बनाने एवं भरने हेतु 200 एम.एम. डी.आई. पाईप लाईन की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके तहत टंकी का निर्माण पूर्ण कर चालू करने हेतु पुरानी लाईन के समानान्तर ही नई लाईन बिछाने के लिये आपके विभाग से अनुमति हेतु आवेदन किया गया था, क्योकि उक्त पाईप लाईन वन क्षेत्र से होकर गुजर रही है। विभाग की पुरानी लाईन पूर्व से ही चालू होकर कार्यरत है एवं उसके ऊपर कोई बडे वृक्ष नही है। पाईप लाईन के लेआउट के तहत वर्तमान में कुछ (31 नग) छोटी झाडियां एक बडी झाडी एवं एक छोटा वृक्षनुमा पेड ही आ रहे है, जिससे पाईप लाईन कार्य में किसी भी बडे वृक्ष को काटने की आवश्यकता सम्भवतया नही पडेगी। यथा सम्भव नई पाईप लाईन को पुरानी पाईप लाईन के समानान्तर ही बिछाने का कार्य किया जावेगा, जिससे किसी भी वृक्ष को काटने की आवश्यकता नही हो।

2. आक्षेप क्रमांक 02 :– राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 3 के क्रम में Kml file संलग्न (सी.डी.) उपलब्ध करावे :–

उपरोक्त आक्षेप के क्रम में निवेदन है कि उक्त विवरण ऑनलाईन आवेदन के साथ उपलब्ध है।

**अतः उक्त प्रस्ताव को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान कर पाईप लाईन बिछाने की अनुमति दिलाने का श्रम करावे, जिससे ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ही कार्य सम्पादित कर टंकी चालू कर आगामी ग्रीष्म में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने में आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।**

(सुरेश कुमार सेठी)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग
खण्ड चित्तौडगढ